भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1883

दिनांक 04 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बाल अंतःस्रावी स्वास्थ्य अवसंरचना

1883 डा. सिकंदर कुमारः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में, विशेष रुप से हिमाचल प्रदेश जैसे अत्यधिक सघन स्थानीय समूहों में जहां लगभग 300 बच्चे उपचाराधीन बताए गए हैं, बाल अंतःस्रावी और थायरॉइड मामलों की संख्या में हुई चिंताजनक वृद्धि को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को विशेष रूप से बाल अंतःस्रावी देखभाल तथा नैदानिक अवसंरचना के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश भर में यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि राज्य द्वारा संचालित प्रत्येक तृतीयक चिकित्सा संस्थान में कम से कम एक कार्यशील, पूर्ण रूप से कर्मचारीयुक्त बाल अंतःस्रावी इकाई उपलब्ध हो?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत, मोबाइल हेल्थ टीम (एमएचटी) जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की चार 'डी'—जन्मजात दोष (डिफ़ेक्ट एट बर्थ), रोग (डीजीज), कमियाँ (डेफिसिएंशी) तथा विकास में विलंब (डेवलपमेंट डिलेज) से संबंधित चयनित स्वास्थ्य स्थितियों के लिए स्वास्थ्य जांच करते हैं। यह जांच हिमाचल प्रदेश राज्य सहित देशभर में, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में की जाती है। कार्यक्रम की रूपरेखा में बाल चिकित्सा अंतःस्रावी स्थितियाँ, जैसे मधुमेह (डायबिटीज मेलिटस) और जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज़्म सहित 38 स्वास्थ्य स्थितियाँ शामिल हैं। चिन्हित बच्चों को उचित उपचार और प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा जाता है।

(ख) राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत बाल स्वास्थ्य पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	व्यय (लाख रुपए में)
2023-24	1,580.85
2024-25	1,489.24
2025-26	2,065.30

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एचएनएम) की प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति के अंतर्गत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संबंधित राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर, एनएचएम के मानकों के अनुसार वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। अंतःस्रावी स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों से संदिग्ध बच्चों को पुष्टि तथा आगे उपचार एवं प्रबंधन के लिए मेडिकल कॉलेजों सहित उच्च स्तरीय मध्यम और विशिष्ट जन स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया जाता है।
